International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 12 Issue 11, November 2022,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

अर्मत्य सेन के राजनीतिक दार्शनिक विचारों का संक्षिप्त परिचय

प्रदीप कुमार गुप्ता - शोध छात्र, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।

सारांश – प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य प्रो0 अमर्त्य सेन के विचारों में सामाजिक राजनीति विज्ञान से सम्बन्धित संकल्पनाओं को सरलीकृत कर आम जन तक पहुँचाना है। इससे न्याय, विकास, स्वतंत्रता, समानता, मानवाधिकार एवं लोकतंत्र जैसी संकल्पनाओं को और बेहतर तरीके से समझ कर राजनीतिक व सामाजिक व्यवस्था में सद्उपयोग कर उसमें राजनीतिक प्रक्रिया को और उच्च स्तर प्रदान करने में मदद मिलेगी। प्रश्नगत शोध पत्र के अनुशीलन से अमर्त्य सेन के विचारों का प्रचार–प्रसार और उसकी समझ और उनके विचारों की पहुँच सामान्य व्यक्ति तक हो सकेगी।

संकेत शब्द – उदारवाद, कल्याणकारी अर्थशास्त्र, ज्ञानोदीप्ति काल, अनुभूति केन्द्रित तुलनावादी, न्यायपूर्ण समाज, लोकतंत्र, मानवाधिकार।

भूमिका –

सामाजिक–राजनीतिक दर्शन व्यक्ति एवं समाज हेतु जिन आदर्शो एवं मूल्यों की विवेचना करता है उनमें न्याय सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि अन्य सामाजिक–राजनीतिक मूल्य (स्वतन्त्रता, समानता इत्यादि,) एक न्यायपूर्ण सामाजिक–राजनीतिक व्यवस्था में ही चरितार्थ होते है। इसीलिए बार्कर न्याय को 'अन्तिम मूल्य' (Ultimate Value) कहते है जो उचित प्रतीत होता है।

न्याय की अवधारणा एक सापेक्षिक अवधारणा है जो सम्बद्ध देश, काल परिस्थिति में मौजूद मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है। समय के साथ जब मूल्य एवं परम्पराएं संशोधित, विकसित एवं परिष्कृत होती है और उसी के अनुरूप सामाजिक व्यवस्था को सुसंगत बनाने का प्रयास तत्कालीन सामाजिक–राजनीतिक संस्थाएं करते हैं।

प्लेटों, अरस्तू, हाब्स, लॉक, रूसों, मिल, मार्क्स, लास्की इत्यादि विचारकों से लेकर समकालीन राजनीतिक दार्शनिक राल्स ने न्याय के संदर्भ में अपने–अपने विचार प्रस्तुत किये हैं इनके विचार अपने–अपने समय के मूल्यों एवं परिस्थितियों से प्रभावित होने के कारण भिन्नता प्रकट करते हैं।

समकालीन विश्व में जहां मानवाधिकारों के संरक्षण की मांग एवं उसकी परिभाषा दिन प्रतिदिन ज्यादा मुखर एवं विस्तृत होती जा रही है ऐसे में न्याय की संकल्पना का विस्तार और उसका आयाम बहुआयामी होना स्वाभाविक है।

समकालीन चिंतन के अन्तर्गत न्याय की समस्या पर अनेक दृष्टियों से विचार किया जाता है जिससे न्याय के विविध रूपों की चर्चा सामने आती है। न्याय के इन विविध रूपों से यह संकेत मिलता है कि (1) न्याय के प्रति भिन्न–भिन्न दृष्टिकोण क्या है? और (2) एक ही दृष्टिकोण के अन्तर्गत न्याय के भिन्न–भिन्न प्रयोग–क्षेत्रों में इसका अभिप्राय क्या

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 12 Issue 11, November 2022,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

है? वस्तुतः 'न्याय के विविध आयाम' न्याय के स्वरूप को विविध संदर्भो में जानने व समझने के प्रयत्न है। इनसे न्याय के संपूर्ण रूप की संकल्पना करने में मदद मिल सकती है। न्याय के विविध आयाम है जैसे– कानूनी–औपचारिक न्याय और प्राकृतिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, प्रक्रियात्मक न्याय और तात्विक न्याय इत्यादि।

समकालीन सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक दार्शनिक एवं विद्वान प्रो0 अमर्त्य सेन न्याय की अवधारणा को अपने मौलिक विचारों के माध्यम से न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की स्थापना एवं उसकी सतत् जीवन्तता को बनाए रखने के लिए विविध मंचों के माध्यम से प्रचारित एवं प्रसारित करते रहे है साथ ही इस अवधारणा को नये–नये आयाम प्रदान कर इसे बौद्धिक विमर्श का विषय बनाया है जो आने वाले समय में जन सामान्य के मध्य सामान्य विमर्श का विषय बनेगा।

सेन के विविध मुद्दो सम्बन्धी विचार आपस में अन्तर्सम्बन्धित है (उदाहरण स्वरूप–विकास(उदाहरण स्वरूप–विकास=आजादी (स्वतंत्रता)=सामाजिक न्याय) और इनमें से प्रत्येक एक दूसरे को पुष्ट करते हैं।

सेन अपने न्याय सम्बन्धी विचार को प्रस्तुत करने के पहले ज्ञानोदीप्ति काल (Enlightenment Period) से लेकर अब तक के राजनीतिक–दार्शनिकों के न्याय सम्बन्धी विचारों को मोटे तौर पर दो वर्गो में बांटते है– (1) अनुभवातीत संस्थावादी (Transcedental Institutionlism) (2) अनुभूति केन्द्रित तुलनावाद (Empirical Relativism)। अनुभवातीत संस्थावादी विचारको (हाब्स, लॉक, रूसों, कांट, राल्स इत्यादि) ने समाज में एक न्यायपूर्ण व्यवस्था की पहचान (और स्थापना) पर आग्रह किया है। इनकी मुख्य विशेषता है कि ये न्याय के परम स्वरूप पर केन्द्रित है, न्याय और अन्याय के बीच सपेक्षता (तुलना) पर नहीं। यह उन सामाजिक अभिलक्षणों का अन्वेषण करती है जो न्याय की परिधि में नहीं समा पाते अर्थात यहां तो 'न्यायपूर्णता' की प्रकृति का अन्वेषण हो रहा है किसी 'कम अन्यायपूर्णता' की कसौटी की तलाश नही हो रही है। इसकी दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है कि न्याय की सम्पूर्णता की खोज में अनुभवातीत संस्थावाद उस समाज रचना की ओर केन्द्रित नहीं है जो अन्ततः उदित होगी। इसका ध्यान तो मुख्यतः सही संस्थाओं की पहचान पर आग्रह करता है उनके संभव परिणामों की चिन्ता नहीं करता।

अनुभूति केन्द्रित तुलनावादी विचारकों (मार्कीस डि कॉडोर्से, एडम स्थिम, बेंथम, मैरी वोल्स्टेनक्राफ्ट, मार्क्स, जे.एस.मिल इत्यादि) ने वास्तविक सामाजिक अनुभूतियों को एक तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य प्रदान करने वाली सापेक्षतापूर्ण विधियों का विकास किया है। इन विचारकों के न्याय के तकाजों विषयक विचारों में बहुत अन्तर थे और इन्होंने सामाजिक

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 12 Issue 11, November 2022,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

तुलना की अपनी–अपनी विशिष्ट विधियॉ सुझाई है। ये किन्हीं वास्तविक या उदित हो सकने वाले समाजों की तुलना कर रहे थे किसी अनुभवातीत संपूर्णतायुक्त न्यायपूर्ण समाज की अन्वेषणा नहीं। ये अनुभूति आधारित तुलना करने वाले विचारक विश्व में व्याप्त उन स्पष्ट अन्यायों के निवारण का आग्रह कर रहे थे जो उन्हें दिखाई दे रहे थे।

इस प्रकार सेन इन दोनों धाराओं के बीच महत्वपूर्ण अन्तर मानते हुए कहते है कि वर्तमान में आधुनिक राजनीतिशास्त्र की मुख्यधारा न्याय की अपनी अन्वेषणा में अनुभवातीत संस्थावाद की प्रथम धारा से अधिक प्रेरित लग रही है। न्याय के इस दृष्टिकोण की सबसे प्रबल एवं प्रभावोत्पादक राजनीतिक दर्शनशास्त्री जॉन राल्स की रचनाओं में मिलती है। राल्स ने अपनी कृति "ए थ्योरी ऑफ जस्टिस" में न्याय सिद्वान्तों की व्याख्या पूर्णतः न्यायपूर्ण संस्थाओं के संदर्भ में की है साथ ही उन्होंने राजनीतिक और नैतिक परिप्रेक्ष्यों में उचित व्यवहार के मानकों का भी बहुत ज्ञानदायी अन्वेषण किया है।

इस प्रकार अधिकांश आधुनिक न्याय सिद्वान्तकार "एक न्याय पूर्ण समाज" की अवधारणा पर आग्रह कर रहे है। किन्तु सेन ने अपनी कृति Idea of Justice में न्याय की प्रगति की अनुभूति आधारित तुलनाओं का अन्वेषण किया है। इसलिए सेन के विचार ज्ञानोदीप्ति काल की दार्शनिक परंपरा अनुभवातीत संस्थावाद से न जुड़कर इसका नाता अन्य विचारकों के अनुभूति केन्द्रित तुलनावाद से अधिक है।

उपर्युक्त दोनों धाराओं से अपनी दिशा को परिवर्तित करते हुए सेन अपने विचारों की मौलिकता को प्रदर्शित करते है। सेन अपने आदि बिन्दु की शुरूआत 'न्याय की प्रगति या उसका संवर्धन कैसे होगा?' के उत्तर खोजने से शुरू करते है, और सेन बताते है कि इसके दोहरे प्रभाव होगे– एक तो इस प्रकार हम तुलनात्मक मार्ग का अनुसरण करेगे अनुभवातीत का नहीं और दूसरा हमारा ध्यान समाज की वास्तविक अनुभूतियों (सम्प्राप्तियों) पर केन्द्रित हो जायेगा केवल संस्थाओं और नियमों तक सीमित नहीं रहेगा। इस प्रकार सेन का न्याय संबंधी विचार समकालीन राजनीतिक दर्शन धारा में प्रचालित प्रवृत्यिों की दृष्टि से आमूल परिवर्तनकारी होगा।

सेन का अनुभवातीत विधि के प्रति सबसे पहली कठिनाई इस अविश्वास पर आधारित है कि 'न्यायपूर्ण समाज' की रचना को लेकर तर्क–विचार द्वारा कोई सर्व सहमति विकसित हो जायेगी, ध्यान योग्य बात है कि वास्तविक चयन के लिए किसी भी व्यवहारिक तर्कशास्त्र में न्यायपूर्णता की तुलना तो अपरिहार्य होती है– यहां विभिन्न संभव विकल्पों में से चयन महत्वपूर्ण होता है न कि एक ऐसी सम्पूर्णतापूर्ण स्थिति की पहचान जिससे आगे और बेहतर हो पाना संभव नहीं है।

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 12 Issue 11, November 2022,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

सेन वास्तविक अनुभूतियों और सम्प्राप्तियों पर आग्रह करते है और कहते है कि इन्हें भुलाकर किन्ही सही संस्थाओं और नियमों की रचना मात्र से सन्तुष्ट क्यो हो जाना चाहिए? सेन के अनुसार न्याय की तार केन्द्रित एवं अनुभूति केन्द्रित अवधारणाओं के बीच व्यापक टकराव है। पहली विचार धारा के अनुसार न्याय की अवधारणा किसी संगठनात्मक तारतंत्र, संस्थाओं, नियमों, नियमों और व्यवहार के मानदण्डों पर आधारित होनी चाहिए इनकी जीवन्त उपस्थिति ही इस बात का प्रमाण होगा कि न्याय हो रहा है। किन्तु प्रश्न उठता है कि क्या न्याय केवल किन्ही संस्थाओं ओर नियमों की ही मांग करता है? क्या हमें इस बात पर भी विचार नहीं करना चाहिए कि उन संस्थाओं के परिणाम स्वरूप समाज में क्या घटना चक्र चलता है और उसके सदस्य किस प्रकार का जीवन व्यतीत कर पाएंगे साथ ही उन संस्थाओं के साथ–साथ कितने ही अन्य कारकों के प्रभाव भी अभिन्न रूप से जुड़े रहते है।

सेन के अनुसार कष्ट सह रही मानवता के मन को भड़का सकने वाली बात तो अन्याय के निदान और नीति निर्धारण दोनों के लिए तात्कालिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होगी। अन्याय की भावना (भले ही वह अनुचित निकले) की जॉच अवश्य होनी चाहिए और यदि वह सही पाई जाए तो फिर उस पर पूरा ध्यान देकर उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। जॉच किए बिना हम उसके ठीक या गलत होने के बारे में निश्चित नहीं हो सकते। जॉच किए बिना हम उसके ठीक या गलत होने के बारे में निश्चित नहीं हो सकते। प्रायः अन्याय का संबंध रूढ़ सामाजिक विभाजनों से होता है ये विभाजन वर्ग, लिंग, समाज में स्थान, भौगोलिक स्थान, धर्म, समुदाय आदि की रूढ़ बाधाओं पर आधारित होते है। क्या हो रहा है तथा क्या हो सकता के वैषम्य का वस्तुनिष्ठ विश्लेषण करने के लिए इन बाधाओं पर पार पाना आवश्यक होते हुए भी संभव नहीं हो पाता। जबकि न्याय संवर्धन के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है।

न्याय को कैसे और क्यों बढ़ावा दिया जाय इस विषय में निष्कर्ष पर पहुॅचने के लिए हमें संदेहों, प्रश्नों तर्को और समीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। न्याय के प्रति ऐसा दृष्टिकोण जो अन्याय की पहचान पर विशेष जोर देता है उसे आलोचनात्मक समीक्षा के पूर्वालाप के रूप में ही उत्तेजित मष्तिष्कों पर ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार के आघात को तर्क को विस्थापित करने के लिए नहीं बल्कि तर्क हेतु प्रेरित करने के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए।

अमर्त्य सेन ने अपनी कृति 'विषमता–एक पुनर्विवेचन' एवं 'न्याय का स्वरूप' में स्पष्ट किया है कि सिद्धान्तों में बहुत अधिक विविधताएं हो सकती है (किसी में समान स्वातंत्र्य, किसी में समान आय तो किसी में सभी के अधिकारों या उपयोगिताओं के प्रति

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 12 Issue 11, November 2022,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

समान व्यवहार पर आग्रह हो सकता है) उनमें परस्पर टकराव भी संभव है– पर वे किसी न किसी प्रकार की समानता का तकाजा करने की साझी विशेषता से युक्त हैं। यहां मुख्य महत्व समता के बहुमुखी आयामों का है और उसे किसी एक पर्यावेश की समता का नाम नहीं दिया जा सकता – वह पर्यावेश चाहे आर्थिक हित–लाभ का हो, संसाधनों, उपयोगिताओं से प्राप्त जीवन की गुणवत्ता का या फिर क्षमता का।

अमर्त्य सेन ने अपनी कृति ' Development as Freedom' एवं 'न्याय का स्वरूप में स्वतंत्रता के प्रति बहुलतापूर्ण दृष्टिकोण को स्थापित किया है। इसे केवल एक लक्षण से सम्पन्न नहीं मानना चाहिए। हमें कार्य करने की स्वतंत्रता और परिणामों के स्वरूप दोनों ही बातों पर विचार करना होगा तभी स्वातंत्र्य के विचार को हम सटीक रूप से समझ पायेंगे।

अमर्त्य सेन के अनुसार समानता और स्वातंत्र्य, के अपने–अपने प्रभाव क्षेत्र में अनेक आयाम होते है। इन व्यापक जीवन मूल्यों के अन्य सभी सरोकारों को नकार करके इनके किसी एक ही आयाम पर केन्द्रित संकीर्ण दृष्टिकोण को अपनाने से बचा जाना चाहिए।

मानवाधिकार की घोषणाएं, उनके आस्तित्व को स्वीकार करने के बाद भी वस्तुतः क्या किया जाना चाहिए की सशक्त नैतिक घोषणाएं ही है। ये कतिपय अपरिहार्यताओं की बात उठाते हैं और आग्रह करते है कि इन अधिकारों द्वारा चिहिन्त स्वतंत्रताओं की सम्प्राप्ति के लिए कुछ प्रयाय किये जाने चाहिए।

मानवाधिकार का विचार केवल नए कानून रचने की प्रेरणा नहीं देता यह अन्य प्रकार से भी उपयोगी रहता है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि मानवाधिकार से नए नियम बनाने की प्रेरणा मिलना, इनका केवल नए दबावकारी कानून बनाने में उपयोग होने से बहुत अलग बात है।

मानवाधिकार सशक्त नैतिक अधिकार है तो फिर इनके क्रियान्वयन में भी लचीली उदारता भरें अनेक मार्गों का प्रयोग संभव होना चाहिए। मानवाधिकार संवर्धन की सारी नैतिकता केवल नए कानून बनाने तक सीमित नहीं रहने चाहिए बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय संस्थाएं, मीडिया, प्रचार, आलोचना, सर्वाजनिक चर्चा और आंदोलन आदि के रास्ते अपनाकर मानवाधिकार के प्रभावी संवर्धन में अधिक उपयोग सिद्ध होगें।

सेन के अनुसार कई बार यह मान लिया जाता है कि यह अविधेयित मानवाधिकार महत्वपूर्ण है तो उसे विधेयन द्वारा सटीक रूप से विधिक अधिकार बना देना बेहतर होगा। किन्तु यह गलत भी हो सकता है। उदाहरण स्वरूप – परिवार में पत्नी की बात को सुनना या उसे पारिवारिक निर्णयों में प्रभावपूर्ण भागीदार बनाना अत्यन्त महत्वपूर्ण हो सकता है (कई परंपरागत लिंग भेदी समाज इसे सहन नहीं कर पाते) किन्तु वे मानवाधिकारवादी भी

जो इस अधिकार के दूरगामी नैतिक एवं राजनीतिक महत्व को समझते है, इस बारे में कानून बनाना अक्लमंदी नहीं मानेगें (क्योंकि दमनकारी कानून द्वारा पति को जेल में डाल दिया जायेगा) इसकी जगह मीडिया, प्रचार, आलोचना, सार्वजनिक चर्चा और आंदोलन आदि के रास्ते अपनाकर व्यवहार में परिवर्तन लाना अधिक उपयोगी होगा। संवाद सम्प्रेषण पक्ष पोषण और जानकारी युक्त सार्वजनिक चर्चाओं के माध्यम से बिना दमनकारी कानूनी सहायता के भी मानवाधिकारों का प्रभाव हो सकता है।

सेन के अनुसार मानवाधिकार वे नैतिक दावे हैं जो विभाज्य रूप से मानवीय स्वतंत्रता के महत्व से जुड़े हुए है और किसी भी ऐसे तर्क की दावे को मानवाधिकार माना जाये, खुली समदर्शितापूर्ण सार्वजनिक तर्क–वितर्क द्वारा समीक्षा होनी चाहिए। मानवाधिकार अन्य व्यक्तियों के सहयोग पाने के लिए उपयुक्त नियमों की रचना, उनके अनुपालन से लेकर उनकी रक्षा के लिए आंदोलन आदि अनेक कार्यों के लिए प्रेरणा बन सकते है। ये विभिन्न गतिविधियॉ अपने–अपने ढंग से और मिलकर महत्वपूर्ण मानवीय स्वतंत्रताओं की प्राप्ति में योगदान दे सकती है।

सेन ने इस बात पर जोर दिया है कि मानवाधिकार संवर्धन की विधेयक के अतिरिक्त भी कई विधियॉ है और उन सभी विधियों में कुछ न कुछ प्रतिपुरकता भी विद्यमान रहती है। उदाहरणः नए मानवाधिकार कानूनों को प्रभावी रूप से लागू करने में सार्वजनिक निगरानी और दबाव का महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. सेन, अमर्त्य, न्याय का स्वरूप The Idea of Justice अनुवाद भवानी शंकर बागला, राजपाल एण्ड सन्स दिल्ली, 2010.
2. सेन, अमर्त्य, विषमता–एक पुनर्विवेचन इन इक्वालिटी रीइक्जामिंड, अनुवाद– नरेश "नदीम" राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 2008.
3. सेन, अमर्त्य, पीस एण्ड डेमोक्रैटिक सोसाइटी, कैम्ब्रिज, यू0के0 : ओपन बुक पब्लिशर्स, 2011.
4. द्रेज, ज्यां, सेन, अमर्त्य, ऐन अनसर्टेन ग्लोरीः इण्डिया एण्ड इट्स कंटाडिक्शन्स. 2013.
5. सेन, अमर्त्य, भारत विकास की दिशाएं Economic Development and Social Opportunity राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली.
6. सेन, अमर्त्य, आर्थिक विकास और स्वातंत्रय Development As Freedom राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली.
7. सेन, अमर्त्य, आर्थिक विषमताएँ On Economic lnequality राजपाल एण्ड सन्स दिल्ली.
8. सेन, अमर्त्य, भारतीय अर्थतंत्रः इतिहास और संस्कृति The Argumentative Indian राजपाल एण्ड सन्स दिल्ली.
9. सेन, अमर्त्य, गरीबी और आकाल Poverty and Famines राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली.
10. सेन, अमर्त्य, चाइस, वेलफेयर एण्ड मैनेजमेन्ट.
11. भारत का संविधान 1950ः बेयर एक्ट, आलिया ला एजेन्सी इलाहाबाद, 2011.

समाचार पत्र, पत्रिकाए, इन्टरनेट सामग्री

1. पुष्पेष पन्त, उनके समाजवाद का भ्रम, अमर उजाला 29 जुलाई 2013.
2. संपादकीय, दो ध्रुवों पर खड़े दो महारथी, 27 जुलाई 2013.
3. विकास के बुनियादी प्रश्न, दृष्टिकोण मंथन, 16–31 अगस्त 2013.
4. स्वतंत्रता का विकास से नाता, दृष्टिकोण मंथन 01.08 सितम्बर 2013.